भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 580

जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**कमजोर वर्ग़ों के लिए कानूनी सहायता**

**+580. डा. अशोक बाजपेयी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :**  सरकार ने कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करने हेतु विधिक सहायता प्रणाली को मजबूत करने के लिए अनेक उपाय किए हैं । सरकार ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्‍य सरकारों की सहभागिता में पूर्वोत्‍तर के 8 राज्यों अर्थात्, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्‍किम और जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य में वर्ष 2012 से "न्‍याय तक पहुंच" परियोजना को क्रियान्‍वित किया है। परियोजना के अधीन, इन राज्‍यों में कई विधिक सहायता और साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं। सरकार ने यूएनडीपी की सहभागिता में आठ राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्‍य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र में वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक न्याय तक पहुंच पर दूसरी परियोजना को भी कार्यान्वित किया है। परियोजना के अधीन पैनल वकीलों, परा-विधिक स्वयंसेवियों, ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता-निर्माण का कार्य किया गया है ।

अप्रैल, 2017 में सरकार ने तीन नए विधिक सशक्तीकरण पहलुओं अर्थात् टेली- विधि, जनहित-विधिक सेवा तथा न्याय-मित्र को प्रारंभ किया है । टेली-विधि स्कीम को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में यथावर्णित सीमांत वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए देश के 11 राज्यों में 1800 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किया गया है । अन्य व्यक्ति केवल 30 रुपये के संदाय पर विधिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 03.12.2018 की स्थिति के अनुसार 41813 मामलों में विधिक सलाह प्रदान की गई है । जनहित- विधिक सेवा स्कीम के अधीन 357 अधिवक्ताओं को जनहित विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है । न्याय-मित्र स्कीम के अधीन, 15 न्याय मित्रों को 10 वर्षों से अधिक लंबित मामलों के निपटान में न्यायपालिका की सहायता करने के लिए 6 राज्यों अर्थात्, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा में लगाया गया है ।

इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने देश में आम आदमी के लिए सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए है । तारीख 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कुल 20,925 विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए गए हैं । तद्नुसार, अधिनियम के अधीन उपबंधित विधिक सेवाओं और सलाहों के माध्यम से वर्ष 2017-18 के दौरान 8,22,856 व्यक्तियों और वर्ष 2018-19 (सितम्बर, 2018 तक ) 9,19,237 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*